अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

वादी:

1. भंवरी पुत्री नानगा पत्नि कल्याण जाति हरि. ब्राहमण निवासी गीला की नांगल तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी:

1. मु. धापा बेवा नानगा जाति हरि. ब्राहमण निवासी दूधली तह. बस्सी
2. ज्याना पुत्री नानगा पत्नि शंकरलाल जाति हरि. ब्राहमण निवासी भीलपुरा तह. आमेर।
3. शांति पुत्री नानगा पत्नि कल्याण जाति हरि. ब्राहमण निवासी कुंथाडा तह. बस्सी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
5. उपपंजीयक बस्सी

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

दावा बाबत घोषणा, बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 167/16 निर्णय दिनांक 16.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट दूधली में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से शंकरलाल उपस्थित। जिसकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत दूधली ने की है। प्रार्थिया/प्रतिवादी सं. 2 की ओर से शंकर लाल ने केम्प कोर्ट दूधली में शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 2 ज्याना उर्फ जानकी एक ही व्यक्ति है परंतु ज्याना पुत्री नानगा पत्नि शंकर लाल अशुद्ध लिख रखा है जिसे शुद्ध किया जावें। प्रार्थिया/प्रतिवादी स. 2 की ओर से उपस्थित शंकरलाल को प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी। पत्रावली का अवलोकन करने एवं प्रार्थिया/प्रतिवादी सं. 2 की ओर से उपस्थित शंकरलाल को प्रार्थना पत्र पर सुनने के के बाद लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये प्रार्थीया/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र ज्याना व जानकी एक ही व्यक्ति होने एवं ज्याना का नाम पहले से ही वादपत्र में दर्ज होने से प्रार्थना पत्र 01 आर 10 सीपीसी आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति का नाम गलत होने से उसे ज्याना पुत्री नानगा पत्नि रामस्वरुप के स्थान पर ज्याना पुत्री नानगा पत्नि शंकरलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वर्तमान रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख.नं. 15 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 53 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा ख.नं. 105 रकबा 3 बीघा स्थित ग्राम दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर में प्रतिवादिया सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में से वादिया भंवरी देवी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड को अमल दरामद कर दुरुस्त किया जावे। डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 16.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट दूधली में मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जयपुर

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादी**

वादी:

1. भंवरी पुत्री नानगा पत्नि कल्याण जाति हरि. ब्राहमण निवासी गीला की नांगल तह. बस्सी।

प्रतिवादी:

1. मु. धापा बेवा नानगा जाति हरि. ब्राहमण निवासी दूधली तह. बस्सी
2. ज्याना पुत्री नानगा पत्नि शंकरलाल जाति हरि. ब्राहमण निवासी भीलपुरा तह. आमेर।
3. शांति पुत्री नानगा पत्नि कल्याण जाति हरि. ब्राहमण निवासी कुंथाडा तह. बस्सी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
5. उपपंजीयक बस्सी

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 167/16

निर्णय दिनांक 16.05.2018

वादग्रस्त भूमि ख.नं. 15 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 53 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा ख.नं. 105 रकबा 3 बीघा स्थित ग्राम दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर में प्रतिवादिया सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में से वादिया भंवरी देवी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड को अमल दरामद कर दुरुस्त किया जावे। ....निजी..................मुबलिक.............. ....बाबत...खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.............. 16.5.18

ओहदा......................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		

Contd--2

हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी, जिला जयपुर

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर